# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 502/2009/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम, वृत–द्वितीय, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अमृतसर बॉम्बे कैरियर (रजि.),
दिल्ली। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री एन.के.बैद,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री रौनक सिंघवी,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

**निर्णय दिनांक : 01/11/2017**

## निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 326/आरएसटी/एनआरडी/00–01 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट प्रथम, वृत द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2000 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत् आरोपित कुल मांग राशि रूपये 40,379/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 03.05.2000 को वाहन संख्या DL–1G/0125 को चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रथम दृष्टया परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेजों की जांच पर दस्तावेजात फर्जी एवं बोगस प्रतीत होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार वाहन को डिटेन करते हुए बिल के सत्यापन हेतु प्रत्यर्थी व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति राशि रूपये 32,828/–, कर राशि रूपये 6,566/– एवं अधिभार राशि रूपये 985/– कुल मांग राशि रूपये 40,379/– का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2008 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित कुल मांग राशि रूपये 40,379/– को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेजों को बोगस मान लिया, जो न्यायसंगत नहीं है। परिवहनित माल राज्य बाहर से राज्य बाहर के लिये था, एवं परिवहनित माल के साथ समस्त आवश्यक वांछित दस्तावेजों में माल प्रेषक एवं प्रेषिति के पूर्ण पते अंकित थे। कर निर्धारण अधिकारी ने कही भी यह प्रमाणित नहीं किया कि परिवहनित माल को राज्य में कही उतारा गया या बेचा गया हो। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के राथ गौजूद दस्तावेज फर्जी एवं बोगस प्रतीत होने के संदेह में मांग राशि का आरोपण किया, परन्तु दस्तावेजों की किसी भी प्रकार से ठोस जांच नहीं की गई, एवं किसी भी प्रकार से यह प्रमाणित नही किया गया कि परिवहनित माल राज्य में कही उतारा गया हो या बेचा गया हो। मात्र संदेह के आधार पर कि माल राज्य में कही उतारा जायेगा मानकर कर, शास्ति एवं अधिभार का आरोपण कर देना न्यायहित में उचित नहीं है। व्यवसायी के पास वक्त जांच अधिनियम की धारा 78(2) के तहत् वांछित समस्त दस्तावेज मौजूद थे। अतः इनकी बिना कोई जांच किए शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक है। उक्त अपील में कोई नया बिन्दु सामने नहीं आया है। अतः प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य